यायालय उपखण्ड अधिकारी, बामनवास जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी सुश्री प्रियंका कड़ेला आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर – 71/2025 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. ऋषिकेश पुत्र कोरया
2. बृजलाल पुत्र भोरया
3. मुनीराज पुत्र कोरया
4. रामचरण पुत्र भोरया
5. हरकेश पुत्र कोरया जाति मीना निवासी शंकरपुरा तहसील बामनवास

–प्रार्थीगण

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बामनवास

–अप्रार्थी

वकील प्रार्थीया– श्री हरिशंकर शर्मा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक :– 15-4-26

प्रार्थीगण की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 127 रकबा 0.48 है0 स्थित ग्राम शंकरपुरा तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि है प्रार्थीगण उक्त भूमि पर काश्त कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे है। उपरोक्त वर्णित भूमि की प्रार्थीगण ने सुरक्षा हेतु मिट्टी की डोलमेड़ बनाई हुई है। बरसातो में डोलमेड के नष्ट हो जाने के कारण आसपास के काश्तकारों से आये दिन सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। उपरोक्त वर्णित भूमि वर्तमान कृषि भूमि है इस कारण आसपास के पड़ौसी सीमा को लेकर काश्त के समय विवाद करते है तथा प्रार्थीगण को परेशान करते है इस कारण उक्त भूमि का प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 30.05.2025 को सीमाज्ञान भी करवाया जा चुका है। किन्तु उसके बावजूद भी आस पड़ौसी कृषक प्रार्थीगण को परेशान करते है। प्रार्थीगण सीधे सादे गरीब कृषक है, तथा इसी का फायदा उठाकर आसपास के पड़ौसी कृषक प्रार्थीगण की भूमि को दबाने को उतारू है जिसका की उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 20.05.2025 को प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी से प्रार्थी की भूमि की पत्थर गढ़ी बाबत् निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि हमें कोर्ट से आदेश लेकर आओ तभी तुम्हारा काम होगा इस कारण प्रार्थना [illegible] हुआ। उपरोक्त वर्णित भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है [illegible] दीगर व्यक्ति का कोई सरोकार या वास्ता नहीं है किन्तु उसके बावजूद भी आस पास [illegible] प्रार्थीगण के सीधे सादे गरीब कृषक होने के कारण परेशान [illegible] हित में यह आवश्यक प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढ़ी की जावे ताकि भविष्य में वि[illegible] से बचा जा सके व प्रा[illegible] की भूमि की रक्षा हो सकें। अन्य सहखातेदार उक्त प्रकरण में पत्थरगढ़ी कराने के लिए सहमत है। इसलिए उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है व पक्षकार देवकोर की मृत्यु हो चुकी हैं इस कारण प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया उसके वारिसान पूर्व से पक्षकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.05.20 16:27:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बामनवास

Scanned with CamScanner

बने हुये है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर 127 रकबा 0.48 है0 स्थित ग्राम शंकरपुरा तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर की खातेदारी की भूमि पर पत्थरगढ़ी के आदेश पारित फरमाये जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थीगण की और से अपने खाते की नकल जमाबंदी एवं तहसीलदार बामनवास की और से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 ग्राम शंकरपुरा पटवार हल्का चान्दहोंली भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र खेड़ली तहसील बामनवास में स्थित आराजी हाल खसरा नम्बर 127 रकबा 0.48 है0 स्थित ग्राम शंकरपुरा तहसील बामनवास स्थित भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज होकर है। प्रार्थीगण अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। हमारे द्वारा बहस वकील प्रार्थीगण की सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम शंकरपुरा पटवार हल्का चान्दहोंली भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र खेड़ली तहसील बामनवास में स्थित आराजी हाल खसरा नम्बर 127 रकबा 0.48 है0 स्थित ग्राम शंकरपुरा तहसील बामनवास भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0 निरीक्षक खेड़ली को 1000/– रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। अतः भू0अ0 निरीक्षक खेड़ली जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारों की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बामनवास को पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 15-4-26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट मुख्यालय पर सुनाया गया।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बामनवास
(प्रियंका करेला)
उपखण्ड अधिकारी
बामनवास(सवाई माधोपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2026.05.20 16:27:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner